

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्ल्यू.पी. (टी) संख्या 2225 /2021

ई.एस.एल. स्टील लिमिटेड (जिसे पहले इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

अपने महाप्रबंधक (वित्त) संजीव कुमार सिंह के माध्यम से

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिला-रांची।
2. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रांची अंचल, पटना।
3. सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,

डिवीजन- I, बोकारो

..... उत्तरवादिगण

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय

माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन

याचिकाकर्ता की ओर से

: श्री बीरेन पोद्दार, वरिष्ठ अधिवक्ता

मेसर्स दीपक सिन्हा, पीयूष पोद्दार,

मानव पोद्दार, अधिवक्तागण

उत्तरवादी सी.जी.एस.टी. की ओर से

: श्री पी.ए.एस. पति, अधिवक्ता

सुश्री रंजना मुखर्जी, अधिवक्ता

07/12//2023 को सुरक्षित

4/03/2024 को घोषित

न्यायमूर्ति दीपक रोशन द्वारा

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट आवेदन निम्नलिखित अनुतोषों के लिए पेश किया गया है:

“(i) अपील्य प्राधिकारी अर्थात् संयुक्त आयुक्त (अपील), सी.जी.एस.टी, रांची द्वारा दिनांक 01.03.2021 को अपील संख्या 18/सीजीएसटी/आरएएन/2021 में पारित कथित आदेश (अनुलग्नक-7) को निरस्त और अपास्त करने के लिए।

(ii) उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 31.07.2020 के मूल आदेश (अनुलग्नक-6) को, निरस्त और अपास्त करने के लिए, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 31.07.2020 के कारण बताओ जवाब (अनुलग्नक-5) पर विचार किए बिना उक्त न्याय निर्णायक प्राधिकारी ने 31 जुलाई, 2020 को फॉर्म जी.एस.टी आर.एफ.डी-06 में एक नामंजूरी/अस्वीकृति आदेश जारी किया, जिसमें निर्यात आपूर्ति करने में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए उपकर से संबंधित याचिकाकर्ता के 1,93,21,127/- रुपये के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इस मामले में 30.07.2020 को निर्धारित पी.एच. में भाग नहीं लिया गया था और फॉर्म आर.एफ.डी.-08 (अनुलग्नक-3) में दिनांक 15.07.2020 को अपलोड किए गए एस.सी.एन में बताई गई विसंगतियों को स्पष्ट/समाधान करने के लिए कोई दस्तावेज अपलोड/प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(iii) संबंधित उत्तरवादियों को यह निर्देश देने के लिये कि वे निर्यात आपूर्ति करने में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए उपकर से संबंधित याचिकाकर्ता के 1,93,21,127/- की धन वापसी के दावे को स्वीकार करते हुए एक नया मूल आदेश, याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद और उत्तरवादी संख्या 3 के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर 31.07.2020 के कारण बताओ जवाब (अनुलग्नक-5) को भी ध्यान में रखने के बाद, पारित करें।”

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि रिट आवेदन से प्रतीत होता है, यह है कि याचिकाकर्ता कंपनी टी.एम.टी. बार्स, स्टील रॉड्स इत्यादि जैसे स्टील उत्पादों के विनिर्माण में लगी हुई है और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए याचिकाकर्ता ने कोयले की कुछ आवक आपूर्ति की है, जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने कोयले का आयात भी किया और उस पर उपकर का भुगतान किया और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आपूर्तिकर्ता या सरकार को भुगतान किए गए ऐसे उपकर पर 41,92,74,925/- रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का भी दावा किया। कोयले का इस्तेमाल घरेलू आपूर्ति के साथ-साथ शून्य-रेटेड आपूर्ति में भी किया गया था। इसलिए याचिकाकर्ता ने उपकर की आनुपातिक रिफंड/वापसी का दावा किया, अर्थात् कोयले पर भुगतान किया गया उपकर जिसका उपयोग शून्य-रेटेड आपूर्ति में किया गया था।

याचिकाकर्ता ने निर्यात आपूर्ति और विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों (सेज) को आपूर्ति के लिये उपकर की वापसी/रिफंड के लिये अलग-अलग दो दावे दायर किये। याचिकाकर्ता ने निर्यात आपूर्ति पर रिफंड की नामंजूरी के विरुद्ध फॉर्म जी.एस.टी. ए.पी.एल.-01 में अपील भी दायर किया और एस.ई.जेड. (सेज) और प्रत्यक्ष निर्यात के कारण 2,01,53,182.00/- रुपये की राशि के रिफंड के लिए 13.03.2020 को जी.एस.टी. आर.एफ.डी-01 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपकर के रिफंड का दावा करने के लिए एक रिफंड आवेदन भी दायर किया और

तदनुसार याचिकाकर्ता को एक रिफंड ए.आर.एन. रसीद विधिवत जारी की गई (अनुलग्नक-1)। दिनांक 13.03.2020 के कथित रिफंड आवेदन (अनुलग्नक-1) को दायर करने के बाद, याचिकाकर्ता कंपनी ने एक बार फिर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कर के भुगतान के बिना निर्यात बिक्री के कारण 1,93,21,127/- रुपये के रिफंड का दावा करते हुए दिनांक 26.06.2020 को परिशोधित रिफंड आवेदन दायर किया (अनुलग्नक-2)।

दिनांक 26.06.2020 के रिफंड आवेदन (अनुलग्नक-2) दाखिल करने के बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 15.07.2020 के फॉर्म जी.एस.टी.-आर.एफ.डी-08 में रिफंड के लिए आवेदन को नामंजूर करने के लिए कारण बताओ नोटिस तामील किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता से पूछा गया कि ऊपर निर्दिष्ट राशि की सीमा तक रिफंड का दावा क्यों न खारिज कर दिया जाए (अनुलग्नक-3)।

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दिनांक 15.07.2020 का एस.सी.एन. (अनुलग्नक-3) याचिकाकर्ता को 16 जुलाई, 2020 को अपराह्न 3:20 बजे मेल के माध्यम से तामील किया गया था। उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा उल्लिखित कारणों का जवाब देने के लिए उसे तामिला की तारीख से 15 दिनों का, अर्थात् 31 जुलाई, 2020 तक का समय दिया गया था (अनुलग्नक 4)। हालांकि, उत्तरवादी संख्या 3 ने कारण बताओ नोटिस की तामिला की तारीख से 15 दिनों की समय सीमा पर विचार किए बिना, याचिकाकर्ता को 30 जुलाई, 2020 को सुबह 11:30 बजे, जैसा कि 15.07.2020 के उपरोक्त नोटिस (अनुलग्नक-3) में उल्लिखित है, उसके सामने पेश होने के लिए कहा।

याचिकाकर्ता ने उपरोक्त नोटिस में उल्लिखित कारण का जवाब देते हुए उत्तरवादी संख्या 3 के समक्ष 31.07.2020 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दायर किया (अनुलग्नक-5)। याचिकाकर्ता कंपनी में कुछ कोविड-19 मामलों के कारण वह 30.07.2020 को उत्तरवादी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका।

5. याचिकाकर्ता कंपनी का विशिष्ट मामला यह है कि उत्तरवादी संख्या 3 ने, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 31.07.2020 के कारण बताओ जवाब को भी स्वीकार नहीं किया और इनपुट पर भुगतान किए गए उपकर से संबंधित याचिकाकर्ता के 1,93,21,127/- रुपये के दावे को नामंजूर करते हुए दिनांक 31 जुलाई, 2020 को फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी-06 में नामंजूरी आदेश जारी कर दिया (अनुलग्नक-6)।

उपरोक्त नामंजूरी आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 107 के अधीन फॉर्म जी.एस.टी. ए.पी.एल-01 में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की; यद्यपि, अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त अपील को अपीलीय आदेश संख्या 18/सी.जी.एस.टी./आर.ए.एन/2021 दिनांकित 01.03.2021 (अनुलग्नक-7) के माध्यम से नामंजूर कर दिया।

यद्यपि, सी.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अपीलीय आदेश को चुनौती देने का उपचार सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 112 के अधीन न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करके ही संभव है; हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण का कोई गठन दायर करने की तिथि तक नहीं हुआ है, जो कि केंद्र सरकार

द्वारा जारी परिपत्र संख्या 132/2/2020-जी.एस.टी. दिनांकित 18.03.2020 से स्पष्ट होगा और इसलिए याचिकाकर्ता के पास उपरोक्त आदेशों को चुनौती देने के लिए कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रस्तुत रिट याचिका (अनुलग्नक-8) दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बीरेन पोद्दार ने मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित ओ.आई.ओ. और ओ.आई.ए. पर हमला किया है:

(i) यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है;

(ii) ओ.आई.ओ. नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर है;

(iii) एस.सी.एन. या नामंजूरी आदेश में किसी भी डी.आई.एन. का उल्लेख नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता-कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कंपनी द्वारा दायर अपील के जापन को रिकॉर्ड पर लाने के लिए पूरक हलफनामा दायर किया है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सभी सुसंगत आधार उठाए गए थे। अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उसके प्रस्तुतीकरण पर विचार किए बिना एक आदेश पारित किया है, जो कानून में गलत है।

उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के रिफंड दावे को नामंजूर करने में उत्तरवादी विभाग द्वारा आरंभ की गई सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है, क्योंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा परिसीमा अवधि के भीतर अर्थात् एस.सी.एन. की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर, 31.07.2020 को दायर कारण बताओ जवाब पर भी विचार नहीं किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कथित कारण बताओ नोटिस पर सुनवाई की तारीख उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा 30.07.2020 तय की गई थी जो कि कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 14वां दिन है, क्योंकि दिनांक 15.07.2020 का एस.सी.एन. (अनुलग्नक-3) याचिकाकर्ता को 16 जुलाई, 2020 को अपराह्न 3:20 बजे मेल के माध्यम से तामील किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा उल्लिखित कारणों का जवाब देने के लिए तामिला की तारीख से 15 दिनों का समय दिया गया था, अर्थात् 31 जुलाई, 2020 तक; लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, उत्तरवादी संख्या 3 ने नोटिस की तामिला की तारीख से 15 दिनों की समय सीमा पर विचार किए बिना, याचिकाकर्ता को 30 जुलाई, 2020 को सुबह 11:30 बजे उसके सामने उपस्थित होने के लिए कहा जैसा कि दिनांक 15.07.2020 के उपरोक्त कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है। निस्संदेह, प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता पर कारण बताओ नोटिस की तामिला 16 जुलाई, 2020 को ई-मेल के माध्यम से किया गया था।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दोहराया कि उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 31.07.2020 को पारित मूल आदेश (ओ.आई.ओ.) (अनुलग्नक-6) याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना और यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 31.07.2020 के कारण बताओ जवाब (अनुलग्नक-5) पर विचार किए बिना,

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में पारित किया गया है, जो कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होगा:

- (i) एस.सी.एन. दिनांक 15.07.2020 को फॉर्म आर.एफ.डी-08 (अनुलग्नक-3) में अपलोड किया गया।
- (ii) याचिकाकर्ता पर एस.सी.एन. दिनांक 15.07.2020 (अनुलग्नक-3) की तामील 16 जुलाई, 2020 को अपराह्न 3:20 बजे ईमेल (अनुलग्नक-4) के माध्यम से किया गया था, एस.सी.एन. की तामिला की तारीख से 15 दिनों के भीतर कारण बताओ जवाब दायर करने के लिए।
- (iii) एस.सी.एन. का जवाब दिनांकित 31.07.2020 (अनुलग्नक-5) एस.सी.एन. की तामिला की तारीख से 15 दिनों के भीतर दायर किया गया था।
- (iv) मूल आदेश दिनांकित 31.07.2020 (अनुलग्नक-6) उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना और याचिकाकर्ता द्वारा उसके समक्ष दायर कारण बताओ जवाब (अनुलग्नक-5) पर विचार किए बिना पारित किया गया था।
- (v) विद्वान ए.सी.-सी.जी.एस.टी. ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और स्वयं सी.बी.आई.सी. द्वारा जारी आभासी सुनवाई के निर्देशों का पालन नहीं किया।

मामले के गुण-दोष पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियम 89(4) के अधीन रिफंड फार्मूला शून्य-रेटेड आपूर्ति के कुल मूल्य पर विचार करता है, न कि एस.ई.जेड. एवं आपूर्ति के मूल्य पर और अलग से शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात आपूर्ति के मूल्य पर।

उपरोक्त प्रस्तुतियों पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता विनती करते हैं कि प्रस्तुत रिट आवेदन में दावा किया गया अनुतोष अनुज्ञात किया जा सकता है।

7. राजस्व के विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता श्री पी.ए.एस. पति, सुश्री रंजना मुखर्जी, जूनियर एस.सी. की सहायता से प्रस्तुत करते हैं कि मूल में आदेश (ओ.आई.ओ.) और अपील में आदेश (ओ.आई.ए.) वैध हैं और सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 सपठित सी.जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार पारित किए गए हैं।

वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलीय आदेश (ओ.आई.ए.) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी ने संपूर्ण तथ्यों पर विचार किया है और याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 31.07.2020 के मूल आदेश (ओ.आई.ओ.) से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। चूंकि यकगीकर्ता 30.07.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई की निर्धारित तारीख पर अपना जवाब अपलोड करने में विफल रहा; संबंधित उत्तरवादी ने सोचा कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत सुनवाई की अनदेखी की। 15.07.2020 को जी.एस.टी. पोर्टल के माध्यम से याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 16.07.2020 को इसे अपलोड किया गया। 16.07.2020 को एस.सी.एन. भी अनुस्मारक/स्मरणपत्र

के रूप में ईमेल किया गया था। एस.सी.एन. में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि 15 दिनों के भीतर जवाब दायर करना है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तारीख 30.07.2020 तय की गई थी और चूंकि एस.सी.एन. का जवाब निर्धारित तिथि के भीतर कभी भी जीएसटी पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया गया और जवाब की हार्ड कॉपी 31.07.2020 को प्रस्तुत की गई थी; हालाँकि, 31.07.2020 को मूल आदेश (ओ.आई.ओ.) पारित किया गया था। उन्होंने दोहराया कि 30.07.2020 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया और जवाब निर्धारित समय के भीतर न तो जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया गया और न ही उत्तरवादी के कार्यालय में जमा किया गया।

राजस्व के विद्वान अधिवक्ता अंत में प्रस्तुत करते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी ने मामले के संपूर्ण पहलुओं पर विचार किया है और याचिकाकर्ता के मामले को गुण-दोष के आधार पर नामंजूर किया है; ऐसे में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और प्रस्तुत आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

8. प्रतिद्वंदी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और कानून के प्रावधानों को देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता इस्पात उत्पादों के निर्माण और बिक्री/आपूर्ति में लगा हुआ है। यह कर के भुगतान के बिना (शून्य रेटेड आपूर्ति) निर्मित माल का निर्यात करता है। याचिकाकर्ता ने अपने इनपुट कोयले पर उनके द्वारा भुगतान किए गए प्रतिस्पर्धा उपकर पर आई.टी.सी. का लाभ उठाया। याचिकाकर्ता का प्रमुख आउटपुट ऐसे उत्पाद थे, जिन पर क्षतिपूर्ति उपकर देय नहीं था और क्रेडिट लेजर में आई.टी.सी. का उपयोग नहीं किया गया।

आगे यह पता चलता है कि 13.03.2020 को याचिकाकर्ता द्वारा जी.एस.टी.-आर.एफ.डी.-01 दायर किया गया था जिसमें एस.ई.जेड. और प्रत्यक्ष निर्यात के कारण रिफंड दावे के आधार पर 2017-18 की अवधि के लिये रु. 2,02,53,182/- की वापसी/रिफंड की मांग की गई थी। 26.06.2020 को एक परिशोधित जी.एस.टी.-आर.एफ.डी.-01 दायर किया गया था जिसमें माल की शून्य रेटेड आपूर्ति (निर्यात बिक्री) पर रिफंड दावे के आधार पर 2017-18 की अवधि के लिए 1,93,21,127/- रुपये की वापसी/रिफंड की मांग की गई थी। 15.07.2020 को जी.एस.टी.-आर.एफ.डी.-08 अर्थात् रिफंड की नामंजूरी के लिए एस.सी.एन. याचिकाकर्ता को जारी किया गया था। 30.07.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये और कारण बताओ जवाब दायर करने के लिए भी तारीख तय की गई थी। याचिकाकर्ता ने 31.07.2020 को ही एस.सी.एन. पर अपना जवाब दायर कर दिया; हालाँकि, याचिकाकर्ता के रिफंड के दावे को इस आधार पर नामंजूर करते हुए कि याचिकाकर्ता ने एस.सी.एन. का जवाब नहीं दिया, जी.एस.टी.-आर.एफ.डी.-01 जारी किया गया था। 01.03.2021 को याचिकाकर्ता का अपील भी नामंजूर कर दिया गया था।

9. याचिकाकर्ता की दलीलों से यह स्पष्ट है कि चुनौती का मुख्य आधार यह है कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है। इस मुद्दे को समझने के लिए, अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों को समझना लाभदायक होगा। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 92(3) निम्नलिखित प्रावधान करता है:

"(3) जहां समुचित अधिकारी लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि रिफंड के रूप में दावा की गई राशि का पूरा या उसका कोई भाग आवेदक को स्वीकार्य नहीं है या देय नहीं है, तो वह आवेदक को फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-08 में नोटिस जारी करेगा, उससे यह अपेक्षा करते हुए कि ऐसे नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-09 में जवाब प्रस्तुत करे और जवाब पर विचार करने के बाद रिफंड की राशि को पूर्णतः या भागतः मंजूर करते हुए, या उक्त रिफंड दावे को नामंजूर करते हुए फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-06 में एक आदेश जारी करेगा और कथित आदेश आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा और उप-नियम (1) के प्रावधान रिफंड की अनुमति की सीमा तक आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के उपरोक्त नियम-92(3) का परंतुक निम्नलिखित रूप से प्रावधान करता है:

"परंतुक यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रिफंड के लिए कोई आवेदन नामंजूर नहीं किया जाएगा।"

इस प्रकार, उपर्युक्त नियम 92(3) इसके परंतुक के साथ, निम्नलिखित ढंग से रिफंड आवेदन के न्यायनिर्णयन के लिए उचित अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है:

(i) फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-09 में नोटिस की तामीला की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक द्वारा जवाब दायर करने के लिए फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-08 में कारण बताओ नोटिस जारी करना।

(ii) रिफंड के लिए आवेदन का नामंजूरी आदेश को पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान करना।

(iii) फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-06 में नामंजूरी आदेश पारित करना।

उपर्युक्त नियमों के अवलोकन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आवेदक (यहां याचिकाकर्ता) को सुने बिना रिफंड आवेदन को नामंजूर नहीं किया जा सकता है और प्रस्तुत मामले में, निस्संदेह; नामंजूरी आदेश दिनांकित 31.07.2020 (अनुलग्नक-6) याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है जो कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होगा:

(क) एस.सी.एन. दिनांकित 15.07.2020 (अनुलग्नक-3) याचिकाकर्ता को 16.07.2020 को दोपहर 12.03 बजे ई-मेल के माध्यम से (अनुलग्नक-4) तामील किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता से पंद्रह दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

(ख) उपरोक्त पंद्रह (15) दिन 31.07.2020 को समाप्त होता है, जिस तारीख को याचिकाकर्ता ने अपना जवाब दिनांकित 31.07.2020 (अनुलग्नक-5) प्रस्तुत किया, जिसे 31.07.2020 को ईमेल के माध्यम से भेजा गया।

(ग) किन्तु नियम 92(3) के परंतुक के अनुसार व्यक्तिगत सुनवाई (पी.एच.) की तारीख समय से पहले 30.07.2020 को ही तय कर दी गई है।

10. इस स्तर पर यहां यह उल्लेख करना उचित है कि जबकि 30.07.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई (पी.एच.) तय की गई थी, किन्तु यह निश्चित रूप से प्रकृति में समय से पूर्व थी; इस प्रकार, याचिकाकर्ता को 31.07.2020 के बाद अर्थात् एस.सी.एन. के जवाब की प्राप्ति के बाद, प्रस्तुतियाँ देने और सुसंगत/आवश्यक कागजात और दस्तावेज पेश करने के लिए अन्य व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जानी चाहिए थी, यह सुनिश्चित करने के लिये कि न्यायाधिकरण कोई भी आदेश पारित करने से पहले ऐसे प्रस्तुतियों की परीक्षण कर सके और उन दस्तावेजों को सत्यापित कर सके। हालाँकि, दिलचस्प बात यह है कि अंतिम आदेश 31.07.2020 को ही पारित किया गया था।

समान तथ्यों और परिस्थितियों में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बी.ए. कॉन्टिनम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में, MANU/MH/0659/2021 में प्रकाशित, पैराग्राफ-34.1 और 35 में, निम्नानुसार निर्धारित किया है;

"34.1. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यदि जहां समुचित अधिकारी लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि रिफंड के रूप में दावा की गई राशि का पूरा या उसका कोई भाग आवेदक को स्वीकार्य नहीं है या देय नहीं है, तो वह आवेदक को नोटिस जारी करेगा, उससे यह अपेक्षा करते हुए कि ऐसे नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर जवाब दायर करे और जवाब पर विचार करने के बाद रिफंड की राशि को पूर्णतः या भागतः मंजूर करते हुए, या रिफंड दावे को नामंजूर करते हुए एक आदेश जारी करेगा जो आदेश आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। परंतुक के अनुसार, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रिफंड के लिए आवेदन को नामंजूर नहीं किया जाएगा। अतः, एक स्पष्ट कानूनी अधिदेश है कि यदि रिफंड के लिए आवेदन को नामंजूर किया जाना है तो आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

35. अभिव्यक्ति "सुनवाई का अवसर महज औपचारिकता की एक अभिव्यक्ति नहीं है। यह ऑडी अल्टरम पार्टम के सुप्रसिद्ध सिद्धांत का एक भाग है जो प्राकृतिक न्याय का आधार बनता है और निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। सिद्धांत यह है कि किसी को भी बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस अभिव्यक्ति पर गहराई से विचार करना आवश्यक नहीं है, सिवाय इसके कि न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से कथित अभिव्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बनाया गया है, जिसका उल्लंघन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

माना जाएगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का आह्वान करने का आधार है।"

समान दृष्टिकोण कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एशियाटिक क्लिनिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में लिया था, जिसे MANU/KA/0502/2021 में प्रकाशित किया गया है।

इसी प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने समान मुद्दे पर रिची रिच एक्जिम बोलिशन बनाम कमिश्नर या सी.जी.एस.टी. दिल्ली साउथ, MANU/DE/1078/2022 में प्रकाशित, के मामले में कर निर्धारिती (assesse) के आवेदन को अनुज्ञात किया और रिफंड के आवेदन के नामंजूरी आदेश को निरस्त और अपास्त कर दिया।

11. इस स्तर पर, भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर परिपत्र संख्या 1053/02/2017-सी.एक्स. दिनांकित 10.03.2017 को संदर्भित करना भी लाभदायक है, जिसमें जवाब दायर करने के बाद व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने की अवधारणा को भी शामिल किया गया है। प्रासंगिक खंड यहां नीचे उद्धृत किया गया है:

"14.3 व्यक्तिगत सुनवाई: कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता को उचित अवसर देने के बाद, न्याय निर्णयण प्राधिकारी मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तारीख और समय तय करने के लिए आगे बढ़ सकता है और कर निर्धारिती से अनुरोध कर सकता है कि वह स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उसके समक्ष उपस्थित हो।"

इस प्रकार, मास्टर परिपत्र भी एस.सी.एन. का जवाब प्राप्त करने के बाद कर निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई देने की बात करता है; हालांकि, इस मामले में एस.सी.एन. ने स्वयं एस.सी.एन. की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले पी.एच. की तारीख दी थी; जोकि निश्चित रूप से समय से पूर्व है। इसके अलावा न्याय निर्णयण प्राधिकारी इतनी जल्दी में था कि उसने अगली ही तारीख को आदेश पारित कर दिया।

इस परिस्थिति में, व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर विचार करते समय अपीलीय प्राधिकारी (ओ.आई.ए.) द्वारा पारित आदेश का संदर्भ लेना आवश्यक है। ओ.आई.ए. से यह पता चलता है कि व्यक्तिगत सुनवाई के मुद्दे पर अपीलीय प्राधिकारी ने यह राय दी है कि व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान की गई थी और मंत्रालय के निर्देश के अनुसार आयोजित की गई थी और पी.एच. 15.01.2021 को आयोजित की गई थी। शायद, विद्वान अपीलीय प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने में गुमराह हुआ है कि कर निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई दी गई थी। हालांकि, तथ्य यह है कि पी.एच. 15.01.2021 (अपील कार्यवाही के दौरान) को दी गई थी, लेकिन मूल कार्यवाही के दौरान नहीं। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के मुख्य आधार पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है और इसने पूरा आदेश गुण-दोष के आधार दिया।

12. इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.07.2020 के रिफंड के विवादित नामंजूरी आदेश (अनुलग्नक-6) के अवलोकन से यह पता चलता है कि यह भी नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर है, अर्थात् बिना कोई कारण अभिलिखित किए, हालांकि यह नियमावली, 2017 के नियम 92(3) के अधीन आज्ञापक है, और इसलिए अपोषणीय है और निरस्त किये

जाने योग्य है, यद्यपि, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया गया है और रिफंड का दावा इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया था कि इस मामले में 30.07.2020 को निर्धारित पी.एच. में भाग नहीं लिया गया था और विसंगतियों को स्पष्ट/समाधान करने के लिए कोई दस्तावेज अपलोड/प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जैसा कि फॉर्म आर.एफ.डी.-08 (अनुलग्नक-3) में दिनांक 15.07.2020 को अपलोड किए गए एस.सी.एन. में बताया गया है।

इस संबंध में **जय जय मिल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य कर अधिकारी, तिरुपुर MANU/TN/5662/2020** में प्रकाशित, के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। उक्त आदेश का पैरा-5 नीचे उद्धृत है:

"5. यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब कभी इस प्रकृति का आवेदन किया जाता है, तो सांविधिक प्राधिकारी किए गए दावे पर विचार करने और एक तर्कयुक्त आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 54 के तहत रिफंड के लिए आवेदन किया था और जब उत्तरवादी ने एस.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. की अयोग्य वस्तुओं और सेवाओं को नामंजूर करने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया, तो उन्होंने पक्षकारों पर आपत्ति जताते हुए एक विस्तृत जवाब दिया। अंतिम निर्णय लेने से पहले इन सभी आपत्तियों को प्राधिकरण द्वारा निपटाया जाना अपेक्षित था, जो स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। इस प्रकार, आदेश को स्वयं "एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर" कहा जा सकता है और इसलिए अपास्त किये जाने योग्य है। हालांकि, यदि उत्तरवादी को याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विचार करने के बाद नया आदेश पारित करने का अवसर दिया जाता तो न्याय का उद्देश्य प्राप्त हो सकता था।"

इसी प्रकार का दृष्टिकोण बॉम्बे हाईकोर्ट ने **कोलगेट ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, MANU/MH/0240/2022** में प्रकाशित, मामले में भी लिया है, जिसमें पैरा-5 में निम्नलिखित रूप में प्रेक्षित किया गया है:

5. विवादित आदेश का अवलोकन इंगित करता है कि उत्तरवादी संख्या 3 ने बिना कोई कारण अभिलिखित किये रिफंड के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया है, यद्यपि कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 92(3) के अधीन ऐसा करना आज्ञापक है। हमारे विचार में, उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश कथित प्रावधानों के उल्लंघन में है और अनुदत्त और अपास्त किये जाने योग्य है।"

13. विदा लेने से पहले यह भी प्रेक्षित केन आवश्यक है कि विवादित आदेश कानून की दृष्टि से भी गलत है, क्योंकि कारण बताओ नोटिस दिनांकित 15.07.2020 (अनुलग्नक-3) और रिफंड का नामंजूरी आदेश दिनांकित 31.07.2020 (अनुलग्नक-6) के अवलोकन से यह पता चलता है कि उन नोटिस/आदेश पर कोई डी.आई.एन. उद्धृत नहीं है, और इस तरह वे नोटिस/आदेश अवैध हैं और परिपत्र संख्या 122/41/2019-जी.एस.टी. दिनांकित

05.11.2019 और परिपत्र संख्या 128/47/2019-जी.एस.टी. दिनांकित 23.12.2019 के अनुसार कभी जारी नहीं किए गए माने जाएंगे, अतः पश्चातवर्ती संपूर्ण कार्यवाही अकृत और शून्य है।

इस संबंध में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को विभाग द्वारा जारी किये गये किसी भी संचार पर डी.आई.एन. सृजित और उद्धृत करने के संबंध में एक परिपत्र संख्या 122/41/2019-जी.एस.टी. जारी किया है। इसके पैरा-4 में निम्नलिखित को विशेष रूप से उल्लेख किया गया है:

"4. बोर्ड यह भी निर्देश देता है कि कोई भी विनिर्दिष्ट संचार जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न डी.आई.एन. को वहन नहीं करता है और जो ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अपवाद के तहत नहीं आता है, उसे अमान्य/अवैध माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उसे कभी जारी नहीं किया गया था।"

इसके बाद, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23.12.2019 को एक अन्य परिपत्र संख्या 128/47/2019-जी.एस.टी. जारी किया गया था, जिसके पैरा-2 और पैरा-5 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

"2.उसी के निरन्तरता में, बोर्ड ने अब निर्देश दिया है कि देश भर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) के किसी भी कार्यालय द्वारा करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजे गए सभी संचार (ई-मेल सहित) के संबंध में दस्तावेज़ पहचान संख्या (डी.आई.एन.) का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन और उद्धरण किया जाएगा।"

3.....

4.....

5. बोर्ड एक बार फिर निर्देश देता है कि कोई भी विनिर्दिष्ट संचार जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न डी.आई.एन. को वहन नहीं करता है और जो परिपत्र संख्या 122/41/2019-जी.एस.टी. दिनांकित 05.11.2019 के पैरा 3 में उल्लिखित अपवाद के तहत नहीं आता है, उसे अमान्य/अवैध माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उसे कभी जारी नहीं किया गया था।"

14. उपर्युक्त चर्चाओं और यहां ऊपर संदर्भित विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों और प्रस्तुत मुद्दे पर राजस्व द्वारा स्वयं जारी परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार, न्याय के हित में मामले को उत्तरवादी संख्या 3 को व्यक्तिगत सुनवाई के स्तर से आगे बढ़ने के लिए भेजना पर्याप्त होगा। यह बिना कहे जाता है कि यह एक स्वीकृत मामला है कि एस.सी.एन. का जवाब 31 जुलाई 2020 को प्राप्त हुआ था; इस प्रकार, संबंधित प्राधिकारी

याचिककर्ता द्वारा दायर किये गये जवाब पर विचार करेगा और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तारीख देगा और विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा।

15. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत रिट आवेदन स्वीकार किया जाता है। लंबित आई.ए. यदि कोई हो, का भी निपटारा हो जाता है।

(रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति)

(दीपक रोशन, न्यायमूर्ति)

यह अनुवाद शबनम (पैनल अनुवादक) द्वारा किया गया।